DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: In what category of priority has the port of Ratnagiri been put and how long it will be before it is sanctioned?

SHRI RAJ BAHADUR: Ratnagiri has been mentioned as one of the ports here and it is there in the list.

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में निजलिंगप्पा समिति की सिफारिशें

*५४. **श्री नवाबसिंह चौहान** . क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी कृषि के सम्बन्ध में निजलिंगप्पा समिति की किन किन सिफारिशों को सरकार कार्यान्वित करा रही है और किस प्रकार ; और

(ख) क्या सरकार प्रदर्शन के लिये कुछ सम्मिलित कृषि फार्म स्थापित करने का इरादा रखती है और यदि हां, तो कितने ऐसे फार्म कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†[RECOMMENDATIONS OF NIJALINGAPPA COMMITTEE ON CO-OPERATIVE FARMING

*54. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION be pleased to state:

(a) which of the recommendations of the Nijalingappa Committee on co-operative farming are proposed to be implemented by Government and how; and

(b) whether Government propose to establish some consolidated agricultural farms for being exhibited and if so, how many and at what places such farms will be established?]

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के संसदीय सचिव (श्री एस० डी० मिश्र) : (क) सहकारी कृषि समितियों की बनावट और प्रबन्ध सम्बन्धी जरूरी सिफारिशों को थोड़ी सी तबदीली के साथ स्वीकार कर लिया गया है । जो फैसले इस ओर लिये गये हैं उनका विवरण सदन-पटल पर रखा जा रहा है । दूसरी सिफारिशें, जिनका सम्बन्ध सहायता, प्रशासन, शिक्षण और प्रशिक्षण, भौतिक लक्ष्य और वित्तीय रूपरेखा से है उनकी जांच भी मंत्रालय में, राज्य सहकार मंत्रियों के सम्मेलन, जो श्रीनगर में जून में हुआ था, में की गई चर्चा के अनुकूल की जा चुकी है और कुछ अस्थायी फैसले भी ले लिये गये हैं , जो कि इस समय योजना आयोग के विचाराधीन हैं और जिनके सम्बन्ध में जल्दी फैसला किया जाएगा ।

(ख) ऐसा अनुमान है कि इस प्रश्न का निर्देश उन कृषि सहकारी समितियों की ओर है जो कि अग्रगामी परियोजनाओं के रूप में चालू की जा रही हैं । इन परियोजनाओं के विचार को स्वीकार कर लिया गया है परन्तु जितनी योजनाओं को चालू किया जायेगा उनकी संख्या अभी तक विचाराधीन है । जिस स्थान पर ये परियोजनायें चालू की जाएंगी उसका निर्णय राज्य सरकारें करेंगी ।

† [ ] English translation.

विवरण

कार्यवाहक वर्ग की सहकारी खेती पर सिफारिशें	निर्णय
(१) सहकारी कृषि समिति के लिये एक ही नमूना निश्चित कर लेना उचित न होगा । हमारी विचारधारा में लचक होनी चाहिये। संस्था में स्थानीय अवस्थाओं व आवश्यकताओं के अनुसार उचित तबदीलियां की जा सकें, जिससे आवश्यक अंशों में निर्बलता न आये ।	स्वीकार
(२) कृषि सरकारी समिति स्वैच्छिक संस्था है । किसानों को समिति में सम्मिलित करने के लिये किसी प्रकार के बल से काम नहीं लेना चाहिये और उत्तर प्रदेश व बम्बई जैसे कुछ राज्यों में जो प्रतिकूल कानून बनाये गये हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिये ।	स्वीकार
(३) कृषि सहकारी समिति के पंजीबद्ध होने से पहले अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये, जिससे सदस्यों में निम्नलिखित विचारों का संचार हो :— (१) सहयोग द्वारा अधिक उपज, कार्य और आय पैदा करने की सम्भावना । (२) अधिक उपज के लिये विशेष कार्य व योजनाओं को तत्काल व भविष्य में चालू करना । (३) वह सूत्र जहां से और जितनी मात्रा में तकनीकी और आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है । (४) सदस्यों का उत्तरदायित्व । (५) खेती की प्रबन्ध-व्यवस्था । (६) समितियों को चलाने के लिये नियम और उपनियम । समितियों को बढ़ा चढ़ा कर आर्थिक सहायता व भारी लाभ की आशाओं के साथ चालू न किया जाये ।	स्वीकार
(४) कृषि सहकारी समिति की सदस्यता प्रत्येक किसान के लिये, चाहे वह अपनी या दूसरों की जमीन पर खेती करता हो, खुली होनी गैर-हाजिर जमीन मालिक सदस्य न बनाये जायें ।	इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, सिवाय इस बात के कि वे जमीन के मालिक जो खुद गैर हाजिर रहते हैं सामान्यतः सदस्य न बनाये जायें ।

कार्यवाहक वर्ग की सहकारी खेती पर सिफारिशें	निर्णय
(५) कृषि सहकारी समिति को न्यूनतम और अधिकतम परिमाण तक सीमित न किया जाय। आपस में गठी-जुड़ी हुई इकाइयों के अधिक सफल होने की सम्भावना है और यह अच्छा होगा यदि एक से अधिक कृषि सहकारी समिति प्रत्येक साधारण गांव में स्थापित की जाये।	इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है, सिवाय इस बात के कि सरकारी विशेष सहायता के लिये समिति के कार्य-क्षेत्र व सदस्यों कि संख्या में न्यूनतम व अधिकतम का प्रतिबन्ध होना चाहिये। न्यूनतम व अधिकतम स्थानीय अवस्था के अनुसार राज्य सरकारों को निश्चित करना चाहिये।
(६) सदस्यों को जमीन ५ वर्षों के लिये एकत्रित करनी चाहिये। इस अवधि में भी किसी के जमीन वापिस लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये, यदि वह उस जमीन को समिति के किसी दूसरे सदस्य के नाम कर सके। विशेष अवस्था में उसे सदस्यता वापिस लेने की भी स्वीकृति दे दी जाये और जमीन समिति द्वारा पट्टे पर ले ली जाये। छोड़ने वाले सदस्यों को जमीन लौटा दी जाये यदि इससे समिति के कार्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, वरन् उसके बराबर की कीमत की जमीन खेत के घेरे पर दी जा सकती है।	इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है परन्तु पांच वर्ष की अवधि कम से कम मानी जायेगी जिससे यदि हो सके तो समिति इससे भी अधिक समय के लिये जमीन ले सके।
(७) जमीन एकत्रित करने का लाभ मालिकों को मिलना चाहिये। जमीन की आमदनी, सब खर्च निकाल लेने के बाद, बांटनी चाहिये।	जमीन की आमदनी बांटने का तरीका प्रत्येक समिति पर छोड़ देना चाहिये। यदि समिति कुल पैदावार में से आमदनी देने का फैसला करे तो वह राज्य सरकार के भूधारण अधिनियम में निश्चित उच्चतम सीमा का उल्लघंन न करे।
(८) पशु, उपकरण इत्यादि सदस्यों द्वारा एकत्रित किये जा सकते हैं। उनकी कीमत हिस्सा-पूंजी अथवा अमानत समझी जानी चाहिये।	यह सिफारिश स्वीकार है, परन्तु पशु, उपकरणों इत्यादि की रकम को हिस्सा पूंजी समझा जाये।

कार्यवाहक वर्ग की सहकारी खेती पर सिफारिशें	निर्णय
(९) प्रत्येक कृषि समिति को कृषि सम्बन्धी उद्योगों के विकास व खेती की उपज बढ़ाने के लिये योजना तैयार करनी चाहिये । उसे कुटीर-उद्योग व लघु-उद्योग स्थानीय संसाधन व कारीगरों की उपलब्धि के अनुकूल चालू करने चाहिये ।	स्वीकार
(१०) सहकारी कृषि का यंत्रीकरण होना जरूरी नहीं । सहकारी खेती प्रचुर मात्रा में हाथों से परिश्रम कर के जमीन को उन्नत करने की विविध विधियों को, जैसे कि तालाबों को पुनर्जीवित करना, कुंओं को गहरा करना, बाँध बनाना और जमीन को कटने से बचाना, अपना सकती है ।	स्वीकार
(११) यदि सहकारी कृषि समिति उन इलाकों में स्थापित की जाय जोकि चकबन्दी के लिये चुने गये हैं तो अच्छा हो । यह ठीक है कि चकबन्दी से सहकारी कृषि समितियों को सफल होने में सहायता मिलेगी परन्तु इसको सहकारी समितियां चालू करने के लिये रुकावट न नीम जाय बल्कि विकास कार्य सब क्षेत्रों में चालू होना चाहिये ।	स्वीकार

†[THE PARLIAMENTARY SECRETARY TO THE MINISTER OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI S. D. MISRA): (a) The main recommendations relating to the pattern of organisation and management of cooperative farming societies have been accepted with certain minor modifications. A statement indicating the decisions is being laid on the Table of the House. Other recommendations which relate to pattern of assistance, administrative arrangements, education and training, physical targets and financial outlay, have also been examined in the Ministry in the light of the discussion in the Conference of State Ministers of Cooperation held in June at Srinagar, and certain provisional conclusions have been reached. These are under consideration of the Planning Commission and will be finalised in the near future.

(b) It is presumed that this question refers to the establishment of a certain number of cooperative farming societies as pilot projects. The idea of such projects has been accepted but the exact number to be started is still under consideration. The location of such projects will be determined by State Governments.

† [ ] English translation.

STATEMENT

Recommendations of the Working Group on Coop. Farming	*Decision taken*
(1) It is not desirable to lay down a uniform pattern for cooperative farming society. Approach should be flexible. Suitable changes in the organisation may be made in accordance with the local conditions and requirements without losing the essential ingredients.	Accepted
(2) The cooperative farming society is a voluntary association. No compulsion should be used to bring the cultivators into a society and the laws enacted in certain States in Uttar Pradesh, Bombay which contain provision to the contrary should be repealed.	Accepted
(3) The registration of the cooperative farming society should be preceded by suitable preparatory work so that members have acquired appreciation of (i) scope of increasing production, employment and income through joint effort; (ii) specific tasks and schemes to be undertaken immediately as well as in the future to step up production; (iii) the source from which and the extent to which technical and financial aid would be available; (iv) obligations of members; (v) procedure of farm management; and (vi) rules and regulations governing the work of the societies. A society should not be organised by raising exaggerated hopes either about the financial aid or future prospects.	Accepted
(4) Membership of a cooperative farming society should be open to all cultivators whether land-owners tenants or land-less workers. Absentee land holders should not be enroled as members.	This recommendation is accepted subject to the modification that absentee land-owners may not ordinarily be admitted as members.
(5) No minimum or maximum size be laid down for a cooperative farming society. Compact and homogenious units are likely to prove more successful and it would be an advantage if more than one cooperative farming society is organised in a village of average size.	This recommendation is accepted subject to modification that for special assistance from Government there should be a minimum and maximum both in respect of area and membership. The minimum and maximum may be determined by the State Governments in the light of local conditions.
(6) Land should be pooled by the members for a period of five years. Even during this period there should be no bar to withdrawal of member if he can transfer the land to another member of the society. In exceptional circumstances he may be allowed to withdraw his membership and the land may be taken by the society on lease. An out-going member may be given back his land provided it does not	This recommendation is accepted subject to the modification that the period of five years should be treated as the minimum so that, if, possible, the cooperative may secure the land for a longer period.

Recommendations of the Working Group on Coop. Farming	Decision taken
adversely affect the working of the farm. Otherwise land of equivalent value on the periphery of the farm can be given.	
(7) Ownership for the land pooled should be rewarded and recognised. The return for land should be paid out of the net income of the farm after meeting all expenses.	The mode of proving return on land ownership may be left to be determined by individual societies. If the society decides to pay such return out of gross produce it should not exceed the maximum limit laid down by the tenancy law of the State concerned.
(8) Cattle, implements etc. may be pooled by the members in the society. Their value should be treated as a deposit or share capital.	This recommendation is accepted subject to the modification that the value of such cattle, implements etc. invariably be treated as share capital.
(9) Every farming society should prepare a scheme for development of industries allied to agriculture as well as processing of agricultural produce. It should also undertake cottage village and small scale industries taking into account the available resources and skill.	Accepted
(10) Cooperative farming need not necessarily lead to mechanisation. A cooperative farm may adopt labour intensive method for carrying out various programme of land improvement such as renovation of tanks, deepening of wells, contour bunding and soil conservation.	Accepted
(11) It would be an advantage if the organisation of cooperative farming society is undertaken in areas which are earmarked for consolidation of holdings. While consolidation of holdings will facilitate progress of cooperative farming societies it should not be regarded as a condition precedent and promotion work should continue in all areas.	Accepted

श्री नवाबसिंह चौहान : ये जो पायलट प्राजेक्ट में नमूने की तरह से सोसाइटीज़ बनेंगी इसका इन्तजाम सीधे राज्य के कोग्रापरेटिव डिपार्टमेंट के ज़रिये से होगा या उसके अन्तर्गत कोई और डिपार्टमेंट या डाइरेक्टोरेट के जरिये से करेंगे ?

SHRI B. S. MURTHY: The idea is that in every State, Government should have a co-operative farming board, which will be in charge of the programme and implementation thereof as far as the co-operative farms are concerned.

श्री नवाबसिंह चौहान : जैसा कि बताया जाता है कि देश के अन्दर १४०० या १५०० एग्रीकल्चरल कोग्रापरेटिव सोसाइटीज पहले ही से हैं, तो क्या इनको भी काम में लाया जायेगा और क्या ये जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल कोग्रापरेटिव सोसाइटीज हैं वे उन्हीं स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, जो कि आपने रखे हैं ?

SHRI B. S. MURTHY: According to the findings of this Working Group, there are about 1600 co-operative farming societies working both as joint co-operative and collective co-operative

societies. Out of these the Working Group thinks that a thousand are working well. Those which are not working well will be encouraged to work well and future societies will also be helped to come into existence.

श्री नवाबसिंह चौहान : ऐसे इंडिविजुअल किसान जो कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे उनको भी क्या कुछ इनकरेजमेंट दिया जायेगा और क्या यह सच है कि आप जो एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनायेंगे उनके साथ प्रिफरेंस ट्रीटमेंट होगा ?

SHRI B. S. MURTHY: If any individual wants help, he is not denied help, but if he joins with others and forms a co-operative society, he will get more help because union is strength.

श्री देवकीनन्दन नारायण : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सिफारिशें मंजूर की गई हैं उनके कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी स्टेट्स पर होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट पर होगी और यदि स्टेट्स पर होगी तो कहां तक स्टेट्स ने इस बात को मान लिया है ?

SHRI B. S. MURTHY: Many States have accepted the main recommendations. The main responsibility will be on the State Governments and the Centre will certainly guide, as far as possible.

श्री पां० ना० राजभोज : क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह बात सच है कि कई राज्यों ने सहकारी खेती का कार्यक्रम स्थगित किया है और पूरी तरह से इसको हाथ में नहीं लिया है क्योंकि भारत सरकार निजलिंगप्पा समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है ?

SHRI B. S. MURTHY: It is not quite correct.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I know, Sir, which States have accepted the recommendations of this Committee and how far they have been implemented?

SHRI B. S. MURTHY: The Report has been discussed by the Ministers of Cooperation of the States who had recently met in Srinagar.

DETENTION OF UP AND DOWN RAILWAY TRAINS AT JODHPUR RAILWAY STATION

*55. { SHRI JAI NARAIN VYAS:
SHRI JASWANT SINGH†:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Up and Down railway trains of the Northern Railway were detained for a number of hours at Jodhpur railway station for want of water for the locomotives, in the month of May, 1960;

(b) if so, when and for how many hours these trains were detained; and

(c) what action Government have taken to avoid such incidents in future?

THE DEPUTY MINISTER OF RAILWAYS (SHRI S. V. RAMASWAMY): (a) Yes, mainly goods trains particularly on 15th, 16th and 17th May 1960.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) (i) An additional water connection to the Loco shed has been put into commission. The connection to workshop will also be given as soon as pipes are available.

(ii) In order to have an independent or partially independent water supply for railway purposes at Jodhpur, a mechanical boring plant has recently been acquired to try sinking deep tube wells.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jaswant Singh.